Jai Maa Saraswati Gyandayini ISSN: 2454-8367
An International Multidisciplinary e-Journal
(Peer - reviewed, Open Accessed & Indexed)
Web: www.jmsjournals.in; Email: jmsjournals.in@gmail.com
Vol.6, Issue-II, Oct. 2020

पंचायतीराज संस्थाऐं एवं दलित महिलाओं का सशक्तिकरण – एक अध्ययन (राजस्थान के विशेष संदर्भ में)

*विजय सिंह
शोधार्थी–राजनीति विज्ञान,
विजय सिंह पथिक पी. जी. महाविद्यालय, श्री महावीर जी, जिला–करौली (राज.), कोटा विश्वविधालय, कोटा (राज.),

**डॉ. एम. एल. मीणा
शोध निदेशक
राजनीति विज्ञान विभाग, विजय सिंह पथिक पी. जी. महाविद्यालय, श्री महावीर जी, जिला–करौली (राज.), कोटा विश्वविधालय, कोटा (राज.)

सारांश

पंचायतीराज व्यवस्था भारतीय लोकतंत्र में स्थानीय शासन व्यवस्था व विकेन्द्रीकरण शासन की दृष्टि से आधार स्तम्भ मानी जाती हैं। लोकतंत्र की सफलता निश्चित रूप से जनता की भागीदारी के स्तर पर निर्भर करती है। भारतीय समाज में लैंगिक व जातिय भेदभाव प्राचीन काल से चला आ रहा है, जो कि पारम्परिक रूप से स्वतंत्र भारत में भी एक गम्भीर समस्याँ की दृष्टि से देखा जा सकता है। यद्यपि भारतीय संविधान में लिंग, जाति, धर्म व अन्य आधार पर भेदभाव निषिद्ध हैं। सदियों से वंचित व शोषित वर्ग की शासन व्यवस्था में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से पंचायतीराज संस्थाओं में आरक्षण का विशेष प्रावधान किया गया हैं, ताकि सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा सके। भारतीय समाज में दलित महिलाऐं सदियों से सबसे ज्यादा शोषित व उत्पीड़ित रहीं हैं, इन्हें सामान्य धारा में लाने के लिए ही आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान किया गया है। पंचायतीराज संस्थाओं में दलित महिलाओं को आरक्षण प्रदान किये जाने के पश्चात् इनकी स्थिति में निरंतर सुधार देखा जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में दलित महिलाओं का जीवन कभी पशुत्व श्रेणी जैसा था, लेकिन अब ये महिलाऐं निरंतर जागरूकता की ओर बढ़ रही हैं। पंचायतीराज संस्थाओं के माध्यम से इनकी राजनीतिक स्थिति में ही नही अपितु सामाजिक व आर्थिक स्थिति में भी व्यापक सुधार हुआ है। निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण में पंचायतीराज संस्थाऐं नीवं का पत्थर साबित हुई है।

शब्द कुंजी – पंचायतीराज, दलित महिलाऐं, सशक्तिकरण, महिला आरक्षण, संविधान।

प्रस्तावना :– भारतीय सांस्कृतिक विरासत में महिलाओं को समाज में देवीतुल्य दर्जा प्रदान कर सम्मानजक स्थान दिया गया हैं। लेकिन ये सम्मानजनक दर्जा सिर्फ वैदिक काल तक ही सीमित रहा। समय के प्रवाह के साथ भारतीय समाज व्यवस्था में अनेक कुरूतियों का उदय होने से असमानता व भेदभाव ने समाज को जाति व लैंगिक आधार पर विभाजित कर दिया। फलतः महिलाओं की समाज में विभिन्न काल में स्थिति कमजोर होती रहीं हैं। यद्यपि ऐतिहासिक काल में ऐसे अनेक उदाहरण भी हैं कि महिलाओं नें शासन सत्ता में सापेक्ष भागीदारी व विभिन्न अन्य क्षेत्रों में अपनी विद्वता से अपना लोहा मनवाया है। परंतु पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था व जातिगत भेदभाव ने

DOI: https://doi.org/10.53724/jmsg/v6n2.05
* **Email**: vijaysinghpols@gmail.com, **Orcid Id:** https://orcid.org/0000-0002-9044-1138

दलित समाज की महिलाओं को विभिन्न मर्यादाओं व बंधनों में जकड़कर सदैव उत्पीड़न ही किया जाता रहा है। आधुनिक लोकतांत्रिक युग में स्वतंत्रता, समानता व न्याय आदि को आदर्श मुल्यों के रूप में स्वीकारा गया हैं ताकि बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक सम्मानजनक व प्रतिष्ठा से जीवन जी सकें। लोकतांत्रिक शासन में सदियों से शोषित व पीड़ित वर्ग को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान किया हैं, इसमें कोइ संदेह नही है। दलित महिलाऐं समाज के सबसे निचले स्तर पर घृणित, उपेक्षित व अधिकार विहीन जीवन यापन करती रहीं है, लेकिन स्वतंत्र भारत के संविधान में दलित महिलाओं के लिए प्रदत अधिकार व विशेष प्रावधानों से आज प्रगति की ओर उन्मुख हो रहीं हैं। पंचायतीराज संस्थाओं के माध्यम से राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित किये जाने से स्थानीय शासन में राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ होने के साथ ही दलित महिलाओं के सशक्तिकरण को दिशा मिल रही हैं। राजनीतिक चेतना की शून्य स्थिति आज नेतृत्व की ओर उन्मख हो रहीं हैं। पंचायतीराज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किये जाने से पूर्व राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में दलित महिलाओं की स्थिति ऐतिहासिक काल से ही अपने निम्मनतम स्तर पर थी। पंचायतीराज संस्थाओं को कानूनी दर्जा प्रदान किये जाने बाद महिलाओं की स्थिति में सुधार की आशा की गई। राजस्थान पंचायतीराज संस्थाओं की स्थापना में देश के अग्रणी राज्य के रूप में जाना जाता है, तो दलित महिलाओं के सशक्तिकरण में भी राजस्थान राज्य प्रगति की ओर उन्मुख हुआ है।

शोध साहित्य समीक्षा :–

- जोशी, डॉ. आर. पी. व मंगलानी, डॉ. रूपा :– 'भारत में पंचायतीराज' राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर – प्रस्तुत पुस्तक में विभिन्न विद्धानों के लेख संकलित किये गये है, जिसमें मुख्यतः पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं के सशक्तिकरण व महिला सहभागिता के संदर्भ में महिला आरक्षण की महत्ता पर प्रकाश डाला गया है।
- नाटाणी, प्रकाश नारायण व गौतम, ज्योति :– 'लिंग एवं समाज' रिसर्च पब्लिकेशन्स, जयपुर – पुस्तक में भारतीय समाज व्यवस्था में लैंगिक भेदभाव की स्थिति का विस्तार से उल्लेख किया है। महिलाओं की समस्याओं के कारण व समाधान के साथ महिला आरक्षण से महिला सशक्तिकरण का विश्लेषण किया है।
- मौर्य, शैलेन्द्र :– 'राजस्थान में महिला विकास प्रारम्भ से आज तक' राजस्थानी साहित्य संस्थान, जोधपुर – उक्त पुस्तक में राजस्थान में महिलाओं की स्थिति का विवेचन करते हुये महिला विकास हेतु संचालित सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डाला है।
- बाबेल, डॉ. बसंतीलाल :– 'पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास योजनाऐं', राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर – इस पुस्तक में राजस्थान पंचायतीराज संस्थाओं की संरचना व पंचायतीराज संस्थाओं के माध्यम से संचालित ग्रामीण विकास योजनाओं का विवेचन किया है।
- भावना, डॉ. शिव :– हरियाणा पंचायतीराज अनुसूचित जाति व महिला आरक्षण के विशेष संदर्भ में 73 वें संवैधानिक संशोधन के प्रभावों का तुलनात्मक अध्ययन, जे. वी. पब्लिशिंग हाउस, जोधपुर – प्रस्तुत शोध ग्रंथ में अनुसूचित जाति महिलाऐं महेन्द्रगढ़ व रेवाड़ी जिले के संदर्भ में अध्ययन किया गया है। इसमें

पंचायतीराज संस्थाओं में अनुसूचित जाति व महिला आरक्षण की आवश्यकता व महत्व तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है।

शोध का उद्देश्य :–

प्रस्तुत शोध पत्र के निम्न उद्देश्य हैं –

- दलित महिलाओं की सामाजिक पृष्ठभूमि को दर्शाना।
- पंचायतीराज संस्थाओं में दलित महिलाओं का सशक्तिकरण में महत्व ज्ञात करना।
- दलित महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता का आंकलन करना।
- पंचायतीराज संस्थाओं में दलित महिलाओं की भूमिका व आरक्षण का मूल्याकंन करना।
- स्थानीय शासन में दलित महिलाओं में नेतृत्व क्षमता को जानना।

परिकल्पनाः–

प्राचीन काल से भारतीय समाज में दलित महिलाऐं उपेक्षित व शोषित रही हैं परंतु स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में समाज की संकिर्ण मानसिकता में बदलाव आया है। दलित महिलाऐं शिक्षा व संवैधानिक प्रावधान से अपने अधिकारों के प्रति सचेत होने से सशक्तिकरण की ओर बढ़ रहीं है। दलित महिलाओं के सशक्तिकरण में पंचायतीराज संस्थाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो रही है।

अध्ययन शोध प्रविधि :–

प्रस्तुत शोध कार्य का मुलतः अध्ययन क्षेत्र राजस्थान हैं, इसमें पंचायतीराज संस्थाओं में दलित महिलाओं के सशक्तिकरण का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। शोध पत्र में प्राथमिक स्त्रोत आँकड़े संचय हेतु निदर्शन पद्धति का प्रयोग करते हुये प्रश्नावली व साक्षात्कार पद्धति का प्रयोग किया गया हैं। तथा द्वितीयक स्त्रोत के रूप में विषय से संबंधित साहित्यक ग्रंथ, शोध ग्रंथ, शोध पत्र, पत्रिकाऐं, पंचायतीराज विभाग की रिपोर्ट, समाचार पत्र व इंटरनेट का उपयोग किया गया है।

पंचायतीराज संस्थाओं का स्वरूप :–

भारत में पंचायत व्यवस्था ऐतिहासिक काल से स्थानीय शासन संचालन व व्यवस्था का आधार रहीं है। ''भारत में पंचायती राज व्यवस्था उतनी ही पुरानी है जितनी भारतीय संस्कृति। हमारे वेदों में इस व्यवस्था का उल्लेख मिलता है।''[1] पंचायत व्यवस्था के महत्व व लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की अवधारणा के आधार पर स्वतंत्र भारत में विभिन्न आयोग व समितियों के सुझाव के उपरांत 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अधिनियम की पालनार्थ राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 अस्तित्व में आया। 73वें संशोधन अधिनियम के अनुसार में त्रि – स्तरीय मॉडल को अपनाया गया हैं राज्य में शीर्ष स्तर पर जिला परिषद, मध्यम स्तर पर पंचायत समिति व निचले स्तर पर ग्राम पंयायतों का गठन किया गया है। पंचायतीराज संस्थाओं का कार्यकाल पाँच वर्ष व प्रत्यक्ष निर्वाचन के साथ संवैधानिक रूप से ग्याहरवी अनुसूची के अंतगर्त सोपें गये विषयों के अनुरूप अधिकार शक्तियाँ प्रदान की गई है। स्थानीय स्तर पर वंचित व पिछड़े वर्गों की

[1] सुखवीर सिंह गहलोत – राजस्थान पंचायतीराज कानून, यूनिट्रेडर्स, जयपुर पृष्ठ संख्या – 1

सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया हैं, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति व महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर बल दिया गया है। ताकि महिलाओं का सशक्तिकरण को दिशा प्रदान की जा सके।

दलित महिला सशक्तिकरण व पंचायतीराज :–

महिला सशक्तिकरण की अवधारणा आधुनिक लोकतांत्रिक युग में एक सर्वव्यापी अवधारणा के रूप में विकसित हुई है। ऐतिहासिक काल से पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं का व्यापक स्तर पर शोषण व उत्पीड़न हुआ हैं। ''पुरूष की शक्ति एवं सता को इस व्यवस्था ने प्रबल किया है और नारी की प्रस्थिति को निर्बल बनाकर उसकी अबला की छवि एवं स्थिति का निमार्ण किया है।''[2] विशेषकर दलित महिलाओं की स्थिति तो अत्यन्त दयनीय रही हैं, दलित महिलाओं को सदियों से अपने अधिकार व स्वतंत्रता से वंचित रखा गया हैं, लेकिन वर्तमान समय में दलित महिलाओं के सशक्तिकरण को दिशा प्रदान करने का प्रयास विविध स्तर पर किया जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर पंचयातीराज संस्थाओं में दलित महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय शासन में इनकी भूमिका में वृद्धि हो रही है। अनुच्छेद 243घ ''(2) खंड (1) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक–तिहाई स्थान, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे।''[3] राजस्थान पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण 50 प्रतिशत प्रदान किया गया हैं राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम की धारा, 15 (5) ''उपधारा (2) और (3) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के आधे से अन्यून स्थान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या यथास्थिति, पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे।''[4] उपधारा (6) में समस्त महिलाओं के लिए आरक्षण 50 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है। दलित महिलाऐं सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक दृष्टि से कभी अपने निम्नतम स्तर पर थी, लेकिन अब अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए संघर्षरत है। ग्रामीण स्तर पर पंचायतीराज संस्थाओं में राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि से दलित महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में भी व्यापक सुधार देखा जा सकता है। पंचायतीराज संस्थाओं के माध्यम से जागरूकता के साथ इनमें नेतृत्व क्षमता का भी विकास हुआ है। पंचायतीराज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किये जाने से पूर्व राजस्थान में दलित महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता शून्य थी, लेकिन आरक्षण के प्रावधान से दलित महिलाओं को नयी दिशा मिली है। परम्रागत रूढ़िवादी संकिर्ण मानसिकता के कारण दलित महिलाओं का दोहरा उत्पीड़न होता रहा है। वर्तमान में शिक्षा के प्रभाव से रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार हुआ है जिससे दलित महिलाऐं अपने अधिकारों के प्रति व्यापक रूप से जागरूक हो रहीं है। इसी संदर्भ में दलित महिलाओं के सशक्तिकरण की स्थिति को जानने के लिए राजस्थान के 260 उत्तरदाताओं की राय से मूल्याकंन किया गया है। उत्तरदाताओं में महिलाओं को प्रथमिकता देते हुए 140 महिलाओं व 120 पुरूषों को सम्मिलित किया गया है।

[2] प्रकाश नारायण नाटाणी व ज्योति गौतम – लिंग एवं समाज, रिसर्च पब्लिकेशन्स, जयपुर, पृष्ठ संख्या – 116
[3] भारत का संविधान – भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) राजभाषा खण्ड, पृष्ठ सं 147
[4] राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 धारा–15

राजस्थान में दलित महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक स्थिति में सुधार हुआ हैं, उक्त स्थिति को जानने के लिए उत्तरदाताओं की राय से जो तथ्य सामने आये उसका विश्लेषण तालिका 1.1 में किया गया हैं जो निम्न प्रकार से हैं –

तालिका : 1.1

दलित महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक स्थिति में सुधार का विवरण :

क्र स	आवृति	पुरूष	प्रतिशत	महिला	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1.	हाँ	105	87.5	112	80	217	83
2.	नही	15	12.5	21	15	36	14
3.	जानकारी नही	00	00	07	05	07	03
4.	**योग**	**120**	**100**	**140**	**100**	**260**	**100**

प्रस्तुत विवरण के अनुसार 87.5 प्रतिशत पुरूषों व 80 प्रतिशत महिलाओं के अनुसार पंचायतीराज संस्थाओं से दलित महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक स्थिति में सुधार हुआ है। जबकि 12.5 प्रतिशत पुरूषों व 15 प्रतिशत महिलाओं ने नही में अपनी राय दी है। निष्कर्ष रूप में कुल 260 उत्तरदाताओं में 83 प्रतिशत ने हाँ तथा 14 प्रतिशत ने नही में राय दी है। अतः स्प्ष्ट है कि दलित महिलाओं के सशक्तिकरण में पंचायतीराज संस्थाऐं नींव का पत्थर साबित हो रही है।

तालिका : 1.2

पंचायतीराज में महिला आरक्षण की सार्थकता से संबंधित राय :–

क्र स	आवृति	पुरूष	प्रतिशत	महिला	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1.	हाँ	110	91.7	133	95	243	93.5
2.	नही	10	8.3	00	00	10	3.5
3.	जानकारी नही	00	00	07	05	07	03
4.	**योग**	**120**	**100**	**140**	**100**	**260**	**100**

तालिका : 1.2 से स्पष्ट है कि पंचायतीराज संस्थाओं में महिला आरक्षण निश्चित रूप से महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता को बढ़ावा देने में महत्पूर्ण रहा माना जाता हैं। उत्तरदाताओं में 93.5 प्रतिशत ने महिला आरक्षण को सार्थक माना है जबकि मात्र 3.5 प्रतिशत ने ही सार्थक नही माना। पुरूष वर्ग में भी 91.7 प्रतिशत आरक्षण को सार्थक मानते हैं, महिलाओं में ये प्रतिशत 95 प्रतिशत रहा हैं, जबकि 3 प्रतिशत ने माना की उन्हें जानकारी नही है। स्पष्ट है कि पंचायतीराज संस्थाओं में महिला आरक्षण का प्रावधान महिलाओं के सर्वांगीण विकास में सार्थक साबित हो रहा है। राजनीतिक सहभागीता के साथ सामाजिक व आर्थिक सुदृढ़ता में भी कारगर साबित हुआ है। ग्रामीण स्तर पर महिलाऐं आत्मनिर्भता की ओ अग्रसर हो रही हैं।

तालिका : 2.3

निणर्य प्रक्रिया में भागीदारी के स्तर संबंधित राय का विवरण :

क्र स	आवृति	पुरूष	प्रतिशत	महिला	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1.	उच्च स्तर	20	16.7	28	20	48	18.4
2.	मध्यम स्तर	70	58.3	98	70	168	64.6
3.	निम्न स्तर	30	25	14	10	44	17
4.	**योग**	**120**	**100**	**140**	**100**	**260**	**100**

तालिका : 2.3 से स्पष्ट है कि पंचायतीराज संस्थाओं में दलित महिलाओं में निणर्य प्रक्रिया में भागीदारी का स्तर कुल उत्तरदाताओं के अनुसार 18.4 प्रतिशत ने माना उच्च स्तर 64. 6 प्रतिशत ने मध्यम स्तर व 17 प्रतिशत ने निम्न स्तर का माना है। जबकि महिलाओं में 20 प्रतिशत ने उच्च स्तर 70 ने मध्यम व 10 ने निम्न स्तर का माना है। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि दलित महिलाओं की निणर्य प्रक्रिया जो कभी निम्न स्तर पर थी अब पंचायतीराज संस्थाओं के माध्यम से निश्चित रूप से निरतंर बढ़ रही है।

तालिका : 1.4

जागरूकता संबंधित राय का विवरण :

क्र स	आवृति	पुरूष	प्रतिशत	महिला	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1.	उच्च	40	33.3	49	35	89	34.2
2.	औसत	60	50	77	55	137	52.7
3.	आंशिक	20	16.7	14	10	34	13.1
4.	**योग**	**120**	**100**	**140**	**100**	**260**	**100**

तालिका : 2.4 के अनुसार स्पष्ट है कि दलित महिलाओं में जागरूकता का स्तर निरंतर बढ़ रहा है। कुल उत्तरदाताओं की राय में 34.2 प्रतिशत ने माना है कि उच्च स्तर 52.7 प्रतिशत ने औसत व 13.1 प्रतिशत ने आंशिक स्तर की जागयकता को स्वीकार किया है, महिला व पुरूष दोनों ने औसत राय प्रदान की है। निष्कर्षतः स्पष्ट है कि दलित महिलाओं में जागरूकता स्तर शून्य था लेकिन अब प्रत्येक स्तर पर इनमें जागरूकता का स्तर आशा के अनुरूप बढ़ रहा है। पंचायतीराज संस्थाओं में प्रतिनिधित्व प्राप्त होने से इनमें व्याप्त कुंठित भावना खत्म हुई है तथा समाज में सम्माजनक जीवन जीने की दिशा प्राप्त हो रही है।

तलिका : 1.5

सामाजिक व आर्थिक स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य में राय :

क्र स	आवृति	पुरूष	प्रतिशत	महिला	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1.	हाँ	116	96.7	140	100	256	98.4
2.	नही	04	3.3	00	00	04	1.6
4.	**योग**	**120**	**100**	**140**	**100**	**260**	**100**

तालिका : 1.5 के अन्तर्गत दलित महिलाओं को आर्थिक व सामाजिक स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य में राय जानी गई है। प्राप्त आँकड़ों के अनुसार दलित महिलाओं को सामाजिक व आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान किये जाने के पक्ष में 98.4 प्रतिशत ने राय दी हैं जबकि 1.6 प्रतिशत ने अपनी राय ना में दी है। स्पष्ट है कि दलित महिलाओं के प्रति समाज में लोगों की धारणा में व्यापक रूप से बदलाव आया है।

निष्कर्ष :–

पंचायतीराज संस्थाऐं वास्तविक रूप से स्थानीय शासन व ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण आधार कड़ी के रूप में साबित हुई हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता की दृष्टि से पंचायतीराज संस्थाऐं और भी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हुई है। भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक व जातिवाद की धारणा ने महिलाओं को चारदीवारी तक ही सीमित नही किया अपितु उनको अधिकारों से भी वंचित किया गया। दलित महिलाओं की स्थिति तो बहुत ही दयनीय रही हैं, लेकिन वर्तमान समय में लिंग, जाति व अन्य आधार पर किसी को अधिकारों से वंचित नही किया जा सकता है। पंचायतीराज संस्थाऐं वास्तविक रूप से सदियों से अधिकारों से वंचित दलित महिलाओं को अधिकार प्रदान करने में ही सार्थक नही रही हैं अपितु दलित महिलाओं के जीवन स्तर में आमूलचूल परिवर्तन में भी महत्वपूर्ण रही है। निश्चित रूप से दलित महिलाओं को प्रतिनिधित्व तो बहुत दूर की बात समाज में कभी सम्मान से जीने का हक भी नही मिल सका। पंचायतीराज संथाओं के माध्यम से प्रतिनिधित्व के साथ सम्मान से जीने की दिशा भी मिल रही है। पंचायतीराज संस्थाओं में किये गये आरक्षण के प्रावधान का ही परिणाम हैं कि समाज में शोषित व वंचित दलित महिलाओं को शासन में भागीदारी मिल सकी है। शासन में भागीदारी से ही दलित महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रहीं है। निश्चित रूप से दलित महिलाओं का पंचायतीराज संस्थाओं से सशक्तिकरण हुआ हैं, इसमें कोइ संदेह नही किया जा सकता है। परंतु राजस्थान में अभी भी दलित महिलाओं के सशक्तिकरण व जागरूकता की दिशा में और अधिक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। क्योंकि पंचायतीराज संस्थाओं में भ्रष्टाचार, राजनीतिक जागरूकता की कमी व पुरूष वर्ग की संकिर्ण मानसिकता इनके सशक्तिकरण में बाधक बन रही है।

****